राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(37) उद्योग/ग्रुप–2/2001 जयपुर दिनांक 09 APR 2021

09 APR 2021

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.11.2003 व 04.04.2013 के द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों, उपकमों, निगमों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं में बिना निविदा के स्टील फर्नीचर, पॉलीथीन बैग्स, टेन्ट, त्रिपाल एवं बारवेड वायर की आपूर्ति हेतु दर निर्धारण समिति, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। नियम–30 अन्तर्गत गठित की गई थी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः F.1(1) FD/GF&AR 2007 Jaipur, dated 23-09-2020 द्वारा उक्त नियम को विलोपित कर दिया गया है।

RTPP Act & Rule 2013 के Rule 32 के एस. ओ 135 के कम संख्या 4 (घ,च) के अन्तर्गत राजसिको एवं खादी बोर्ड द्वारा आपूर्ति की जाने वाले स्टील फर्नीचर आईटम एवं राजसिको द्वारा आपूर्ति की जाने वाले पॉलीथीन बैग्स, टेन्ट, त्रिपाल एवं बारवेड वायर की दरो का निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैः–

1.	आयुक्त उद्योग	अध्यक्ष
2.	प्रबंध निदेशक, राजसिको अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सचिव, खादी बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	निदेशक, एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान अथवा उनके प्रतिनिधि	तकनीकी सदस्य
5.	मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार, उद्योग	सदस्य
6.	संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग	सदस्य
7.	अति. निदेशक, उद्योग	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव, राजसिको/खादी बोर्ड दोनों संस्थाओं द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्टील फर्नीचर आईटमों से प्राप्त प्रस्तावों की जाँच कर गुणवत्ता/स्पेशिफिकेशन/मूल्य में एकरूपता कर समिति के समक्ष विचार विर्मश हेतु प्रस्तुत कर अनुमोदन शासन सचिव, उद्योग से कराकर अनुमोदित दरों की सूची जारी करेगें।

Manager (MKT)

राज्यपाल की आज्ञा से

(चिन्मयी गोपाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग एवं एम.एस.एम.ई. विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, वित्त (G&T) विभाग को राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम 2013 के Rule 32 के एस. ओ 135 के कम संख्या 4 (घ,च) क्रम में।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. आयुक्त उद्योग, उद्योग विभाग, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजसिको, उद्योग भवन, जयपुर।
8. निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार, 22 गोदाम, जयपुर।
9. सचिव, राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, उद्योग विभाग, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग।
12. अति. निदेशक, उद्योग, उद्योग विभाग, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव